आवश्यक/महत्वपूर्ण
पत्र संख्या 3296/ वन एवं ग्रा. वि.

प्रेषक,

प्रमुख सचिव आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून.

सेवा में,

1. समस्त विकास अधिकारी उत्तरांचल,
2. समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तरांचल,
3. समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम विकास अभिकरण उत्तरांचल.

दिनांक फरवरी 21, 2003

महोदय,

समय समय पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कतिपय विकास खण्डों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में निम्न कमियां पाई गयी

1. विकास खण्डो में भूमि सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है. विकास खण्ड के नाम भूमि का राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण, भूमि का नक्शा, खसरा एवं खाता खतौनी भी उपलब्ध नहीं है विकास खण्ड कार्यालय में सम्पति रजिस्टर नहीं रखा गया है और वर्ष के अन्त में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भूमि पर अतिक्रमण न होने का प्रमाण पत्र भी जिला विकास अधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है.

2. कतिपय विकास खण्ड में जो आवासीय भवन बने हैं उन आवासीय भवनों को पूर्ववर्ती कर्मचारियों द्वारा खाली नहीं किया गया है. उन कर्मचारियों से यदि वे आवासीय भवनों को निर्धारित अवधि के अन्दर खाली नहीं करते हैं तो पैनल रेन्ट वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए.

3. किन्हीं विकास खण्डों में आवासीय भवन बने हैं किन्तु वे आवासीय भवन कर्मचारियों को आवंटित नही किये गये और कर्मचारी आसपास के कस्बों,

शहरों में निवास करते हैं ऐसे विकास खण्डों में कर्मचारियों को आवासीय भवन आवंटित किये जायें और उनके वेतन से किराया वसूल किया जाना चाहिए।

4. विकास खण्ड में जिन कर्मचारियों की तैनाती की गई है उनका मुख्यालय विकास खण्ड पर निर्धारित किया जाये यदि उन्हें अन्यत्र सम्बद्ध किया गया है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाये.

5. विकास खण्डों में महालेखाकार एवं विभागीय आडिट के पुराने प्रस्तर काफी लम्बी अवधि से अनिर्मित हैं. ऐसे प्रस्तरों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये.

6. सामान्यतया विकास खण्डों/जिलों में तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष के अन्त में जीपीएफ लेखा पर्ची नहीं दी जा रही है. इस प्रवृति को रोका जाये और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष के अन्त में जीपीएफ लेखा पर्ची उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

7. पेंशन प्रकरणों, कर्मचारियों के अवशेष देयकों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना अनिवार्य है.

8. निरीक्षण के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं. उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये.

9. प्रत्येक माह खण्ड विकास अधिकारियों की मासिक बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं की समीक्षा की जाये और समीक्षात्मक टिप्पणी निदेशालय के माध्यम से मेरे संज्ञान में प्रस्तुत की जायेगी।

10. वार्षिक मूल्यांकन के समय उपर्युक्त बिन्दुओं का भी समावेश अपनी स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में करना आवश्यक होगा. समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकृता अधिकारी भी इसे अपने मंतव्य में सम्मिलित करेंगे।

उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदेशों का अनुपालन

कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

डा0 आर एस टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपी : उपायुक्त (प्रशासन)/कार्यक्रम ग्राम विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

डा0 आर. एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त